

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2014 को सांय 3.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी हाल में आहूत की गयी।

बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहे :-

1.	डा० एस.बी. निमसे	कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री विद्यासागर शुक्ला	विशेष सचिव, (वित्त) उ०प्र० शासन	सदस्य
3.	श्री अशोक कुमार,	विशेष सचिव, (उच्च शिक्षा) उ०प्र० शासन	सदस्य
4.	श्री संजीव कुमार सिंह	उपकुलसचिव कृते कुलसचिव	सदस्य
5.	प्र० ए.के. शर्मा	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	प्र० ए. चटर्जी	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या-1

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2014 की अनुपालन आख्या पर चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा अनुमति प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या-2 (अ)

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय के वार्षिक आय-व्ययक प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्त समिति के मा० सदस्य श्री विद्यासागर शुक्ल, विशेष सचिव, (वित्त) उ०प्र० शासन, लखनऊ द्वारा निम्न सुधार किये जाने के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया :-

(क) वित्तीय वर्ष 2014-15 व्यय पक्ष के क्रमांक-1 (क) के प्रशासनिक मूल वेतन मद में दर्शाया गया बजट अनुमान रु० 60.00 लाख को घटाकर रु० 40.00 लाख का प्राविधान किया जाना, महंगाई भत्ता मद में दर्शाया गया बजट अनुमान रु० 60.00 लाख को घटाकर रु० 30.00 लाख किया जाना एवं अन्य भत्ते मद में दर्शाया गया बजट अनुमान रु० 10.00 लाख को घटाकर रु० 4.00 लाख किया जाना।

(ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 व्यय पक्ष के क्रमांक-5 (प) के बजट अनुमान में सुरक्षा प्रहरी मद में दर्शाया गया बजट अनुमान रु० 70.00 लाख को घटाकर रु० 60.00 लाख किया जाना।

(ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 व्यय पक्ष के क्रमांक-7 (घ) के बजट अनुमान में जलकर मद में दर्शाया गया बजट अनुमान रु0 20.00 लाख को घटाकर शून्य किया जाना।

(घ) वित्तीय वर्ष 2014-15 व्यय पक्ष के क्रमांक-11 (4) के बजट अनुमान में शिक्षकों को शोधकार्य मद हेतु आवंटित रु0 1.00 करोड़ का नया प्रस्ताव होने के कारण इस आशय के साथ स्थगित किया गया कि चुनाव आयोग से इस सम्बन्ध में पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय अन्यथा की स्थिति में इसे चुनाव उपरान्त अगली वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाय।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2014-15 व्यय पक्ष के क्रमांक-14 के बजट अनुमान में आई.क्यू.ए.सी. मद हेतु आवंटित रु0 5.00 लाख का नया प्रस्ताव होने के कारण इस आशय के साथ स्थगित किया गया कि चुनाव आयोग से इस सम्बन्ध में पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय अन्यथा की स्थिति में इसे चुनाव उपरान्त अगली वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाय।

बिन्दु संख्या-2 (ब)

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कला एवं शिल्प महाविद्यालय के वार्षिक आय-व्ययक प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु

बिन्दु संख्या-1

प्रतिकूलपति, परीक्षा नियंत्रक (अतिरिक्त प्रभार होने पर) एवं वित्त अधिकारी को (अतिरिक्त प्रभार होने पर) रु0 3,000/- प्रतिमाह मानदेय वित्तीय वर्ष 2013-14 से दिये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त आचार संहिता लागू होने के कारण प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया कि इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय अन्यथा की स्थिति में इसे चुनाव उपरान्त अगली वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाय।

बिन्दु संख्या-2

जे.ई.ई. बी.एड.-2010 से प्राप्त आय से निम्न विवरणानुसार निर्धारित प्रतिशत आधारभूत ढांचा विकसित करने एवं अपरिहार्य शासकीय दायित्वों के निर्वहन हेतु मदवार निम्नवत् व्यय किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी :-

1. शिक्षकों के शोधकार्य की व्यवस्था हेतु 25 प्रतिशत
2. छात्रों के शोधकार्य की व्यवस्था हेतु 25 प्रतिशत
3. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग का बकाया सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान की व्यवस्था हेतु 15 प्रतिशत
4. केन्द्रीय भवन निर्माण व्यवस्था हेतु 22.05 प्रतिशत
5. कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवास हेतु 2.05 प्रतिशत







6. ओ.एन.जी.सी. से भवन निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान के सापेक्ष विश्वविद्यालय का अंशदान 10 प्रतिशत

समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव पर आचार संहिता लागू होने के कारण प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया कि इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय अन्यथा की स्थिति में इसे चुनाव उपरान्त अगली वित्त समिति में प्रस्तुत किया जाय।

बिन्दु संख्या-3

लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर में स्थित विज्ञान संकाय भवन के निर्माण कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-136/सत्तर-4-2013-3(6)/2005 दिनांक 31 मार्च, 2013 के क्रम में शासन द्वारा स्वीकृत बजट रु0 2,36,49,500/- के सापेक्ष विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्र की आय से मैचिंग शेयर के रूप में रु0 2,36,49,500/- का प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(श्री संजीव कुमार सिंह)
उपकुलसचिव
कृते कुलसचिव



(श्री विद्यासागर शुक्ला)
विशेष सचिव (वित्त)
उ0प्र0 शासन



(प्रो0 ए.के. शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक



(प्रो0 ए. चटर्जी)
वित्त अधिकारी



(श्री अशोक कुमार)
विशेष सचिव, उच्च शिक्षा
उ0प्र0 शासन



(डा0 एस.बी. निमसे)
कुलपति